

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रधानाचार्य (रा.उ.मा.वि.) बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर
किस्म मुकदमा - 136 भूराजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 77/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुररती व तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का चारगदिया की जमाबंदी संवत् 2078-2081 के खाता संख्या 70 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चारगदिया के नाम पर खसरा न. 204 किता 1 रकबा 0.8100 है। भूमि दर्ज है। उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होने से/समायोजित होने से/नाम परिवर्तन होने से वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारगदिया के नाम से संचालित है। उक्त विद्यालय के नाम पर दर्ज भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बजाय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारगदिया के नाम पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का चारगदिया की जमाबंदी संवत् 2078-2081 के खाता संख्या 70 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चारगदिया के नाम पर खसरा न. 204 किता 1 रकबा 0.8100 है। भूमि दर्ज है। उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होने से/समायोजित होने से/नाम परिवर्तन होने से वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारगदिया के नाम से संचालित है। उक्त विद्यालय के नाम पर दर्ज भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बजाय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारगदिया के नाम पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का चारगदिया की जमाबंदी संवत् 2078-2081 के खाता संख्या 70 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चारगदिया के नाम पर खसरा न. 204 किता 1 रकबा 0.8100 है। भूमि दर्ज है। उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होने से/समायोजित होने से/नाम परिवर्तन होने से वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारगदिया के नाम से संचालित है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा राजस्व ग्राम चारगदिया के खाता संख्या 70 में दर्ज प्रविष्टि राजकीय प्राथमिक विद्यालय चारगदिया को क्रमोन्नत होने से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारगदिया दर्ज किये जाने की अनुशंसा की।

अतः पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

— : आदेश : —

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाता दुररती का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम निमडी पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078 से 81 की खाता संख्या नया 70 में दर्ज प्रविष्टि राजकीय प्राथमिक विद्यालय चारगदिया को संशोधित कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारगदिया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

